

📢 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

🌐 **कृपया इस वेबसाइट** <https://epapers.netlify.app/> को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

🎯 **लक्ष्य:** जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!



धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

CLICK HERE



केंद्र सरकार ने 9 जनवरी, 2015 से पहले आए श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को दंडात्मक प्रावधानों से छूट दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी, 2015 से पहले भारत आए श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या वीजा के बिना पाए जाने पर दंडात्मक प्रावधानों से छूट दी है।

भारत शरणार्थियों को मान्यता नहीं देता है और इस छूट का अर्थ यह है कि सरकार के पास पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

इससे पहले, 16 दिसंबर, 2015 को, मंत्रालय ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, 9 जनवरी, 2015 से पहले आए और स्वेच्छा से श्रीलंका लौटने का विकल्प चुनने वाले श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए वीजा शुल्क और निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने का जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया था।

अप्रैल में लागू किए गए आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत, बिना पासपोर्ट या वैध दस्तावेजों के विदेशियों के प्रवेश और ठहरने पर ₹5 लाख का जुर्माना या पाँच साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान किया गया था।

इस अधिनियम ने विदेशियों के प्रवेश और ठहरने तथा आव्रजन से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करने वाले चार कानूनों को निरस्त और प्रतिस्थापित किया।

2 सितंबर को राजपत्र में अधिसूचित आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 में कहा गया है, "भारत में रहने की अवधि और भारत से बाहर



एक श्रीलंकाई तमिल शिविर। इस छूट का मतलब है कि पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। फ़ाइल फ़ोटो

जाने के उद्देश्य से 2025 अधिनियम की धारा 3 (पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज या वीजा की आवश्यकता) की उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधान पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 तक भारत में शरण ली है।"

मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों के गैर-दस्तावेजी सदस्यों को भी दंडात्मक प्रावधानों और संभावित निर्वासन से छूट दी है, यदि वे 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि आव्रजन एवं विदेशी (छूट) आदेश के तहत दी गई छूट का उद्देश्य तीन देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों के उन अनिर्दिष्ट प्रवासियों को दीर्घकालिक वीजा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, "जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था", जो नागरिकता प्राप्त करने का एक पूर्वपेक्षा है।

'बढ़ाई नहीं'
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। बुधवार को, पश्चिम बंगाल से केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने एक्स पर एक पोस्ट हटा दी, जिसमें अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया गया था।

बाद में उन्होंने स्पष्ट किया, "बात यह है कि जो लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं... उन्हें निर्वासित नहीं किया जाएगा यदि वे 31 दिसंबर, 2024 तक प्रवेश कर चुके हैं। बात यह है कि यदि उन्हें निर्वासित नहीं किया जाता है, तो वे प्राकृतिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारत के नागरिक बन जाएंगे।"

नागरिकता अधिनियम, 1955, भारत में कुल 11 वर्षों तक रहने वाले आवेदकों को प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।